

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00537/2020-2021

दिनांक 03/09/2020



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र (अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/VAR/04772/2020-2021

पत्रावली संख्या: V- 23280 दिनांक: 2000-2001

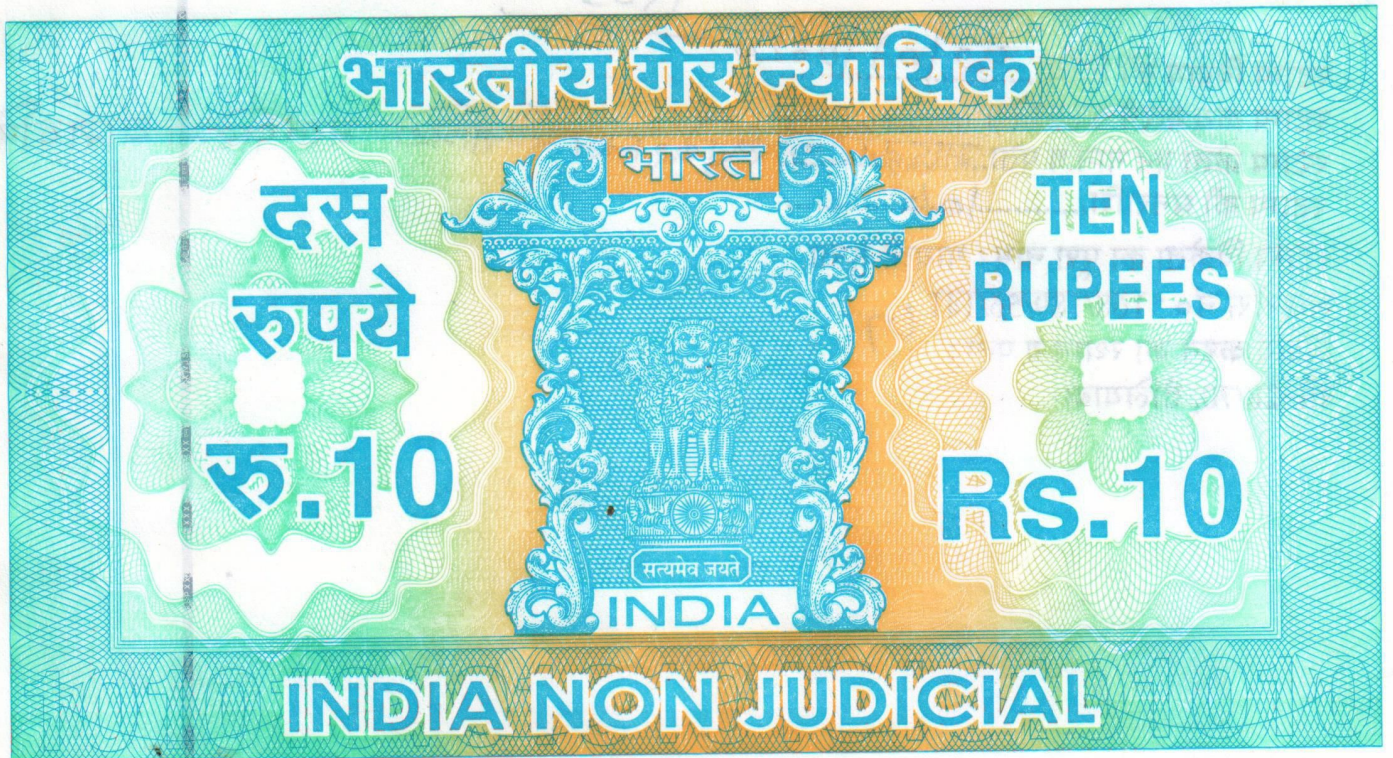
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि माइक्रोटेक एजुकेशनल सोसाइटी, प्रथम तल, निर्मल काम्पलेक्स, मलदहिया, वाराणसी, बनारस, 221001 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 318/2000-01 दिनांक-19/08/2000 को दिनांक-19/08/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।
1000 रुपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(YOGESH CHANDRA TRIPATHI)
36C7B82300AB23E1B5B4ADB4A0050C19FC523A42
Date: 03/09/2020 2:36:22 PM, Location: Varanasi.

जारी करने का दिनांक-03/09/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04AE 830622

प्रति जनरल स्टाम्प पेपर सेलम भाइलो टेक स्टुडेंट्स
सोसाइटी वाराणसी पत्रावली सेलम V-23280 के
अंशोचित स्मृति पत्र के गतिविधि से जनरल सेलम



वाराणसी सहायक निबन्धक
कर्म सोसाइटीज एवं शिक्षा
वाराणसी
15.7.2020

संशोधित स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : माइक्रोटेक एजुकेशनल सोसाइटी।
2. संस्था का पता : प्रथम तल, सी027/279 ए-2, निर्मल काम्पलेक्स मलदहिया, वाराणसी।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत।
4. संस्था का उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे-



1. जन साधारण के शैक्षणिक विकास हेतु प्रोफेशनल एवं वोकेशनल, चिकित्सा/जैसे प्रौद्योगिक, शिक्षा एवं अभियंत्रिकी विज्ञान जैसे विषयों पर शिक्षा उपलब्ध कराना एवं अध्ययन के क्षेत्र में जन साधारण को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना।
2. कार्य क्षेत्र के निवासियों विशेष कमजोर वर्ग के लोगों का गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को सर्वांगीण विकास सम्बन्धित कार्यक्रमों का संयोजन तथा संचालन करना।
3. जन साधारण के शैक्षणिक विकास हेतु नर्सरी/प्राइमरी/जूनियर हाईस्कूल/ इन्टरमीडिएट / 10+2 यू0पी0 बोर्ड/सी0बी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त आदि विद्यालयों की स्थापना करना एवं स्नातक / स्नातकोत्तर/ पोलिटेक्निक/ इंजीनियरिंग कालेज/ मेडिकल कालेज / स्टेट-यूनिवर्सिटी/ यू. जी.सी./ ए0आई0सी0टी0ई0/ एम0सी0आई0/ सी0सी0 आई0 एम0/आयुष/ विश्वविद्यालय/रेग्यूलर/वर्चुअल/ कौशल विकास विश्वविद्यालय आदि जैसे संघीय निकायों को केन्द्रिय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कर संस्थाओं की स्थापना करना तथा उसे सुचारु रूप से संचालित करना एवं विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रेगुलर एवं दुरस्थ शिक्षा के माध्यम से सर्टिफिकेट डिप्लोमा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को संचालित करना।
4. अहिंसा तथा दोषमुक्त समाज की रचना करना, आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करने हेतु हर सम्भव प्रयास करना।

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कदा.....
प्रिलान कदा.....

15-7-2020

5. बेरोजगार युवकों हेतु कौशल एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना एवं जो भी अभ्यर्थी नौकरी करना चाहते हो उन्हें नौकरी दिलाने का कार्य करना तथा जो उद्यमी बनना चाहते हैं उन्हें मदद करना।

6. गरीब एवं असहाय विद्यार्थी एवं अभ्यर्थियों के निशुल्क शिक्षण— प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। सोसाइटी में पंजीकृत गरीब विद्यार्थी एवं अभ्यर्थियों एवं कर्मचारियों को रहने के लिए हास्टल एवं खाने के लिए मेस का स्थापना करना एवं ड्रेस तथा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराना तथा उनके स्वास्थ्य के लिए मेडिकल एवं सेनेटाइजिंग की समय-समय पर व्यवस्था करना।

7. अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों की सर्वांगीण विकास हेतु योजनाएँ बनाकर उन्हें क्रियान्वित करना।



संस्था के कार्यक्षेत्र में केन्द्रिय एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण, पीएमडीआई, डीडीयूजीआई, एनएसडीसी, कमाट, नाबार्ड, अवार्ड, सूडा, सिप्सा, नेहरू रोजगार योजना, जवाहार रोजगार योजना आदि एवं डीआरडीए वृक्षारोपण प्रदूषण नियंत्रण तथा अन्य सभी केन्द्र व राज्य सरकारी योजनाओं का भी संचालन करना।

9. ग्रामीण विकास के लिए गाव की सड़कें, नाली, ग्रामीण शौचालय, पेय जल, बिजली की निर्माण, एवं व्यवस्था करने का प्रयास करना।

10. कृषकों के कृषि विकास हेतु कृषक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा कृषि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना करना।

11. जनसंख्या वृद्धि एवं एड्स बचाव के लिए जनसमूदाय का समूचित जानकारी देना और प्रचार-प्रसार करना और निशुल्क संसाधन उपलब्ध कराना।

12. प्राकृतिक संसाधनों का विकास करना एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना करते हुये ग्रामीणों को रोजगार करने हेतु उत्साहित करना।

13. पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण करना तथा वृक्षों का रख-रखाव करना

सत्य प्रतिनिधि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिनिधि कक्षा 3
विज्ञान कक्षा

15-7-2020

14. नशावृत्ति में फसे युवकों के लिए नशामुक्ति अभियान चलाना तथा नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना करना।
15. वृद्धाओं एवं विधवाओं के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएँ तैयार कर उसे क्रियान्वित करना तथा वृद्धाआश्रम व विधवा आश्रम की व्यवस्था करना।
16. दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह उन्मूलन पर कार्यक्रम तैयार कर उसे क्रियान्वित करना।
17. सिचाई के विभिन्न प्रकार के संसाधनों को कृषि क्षेत्रों में उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
18. विकलांगों के लिए विकलांग विद्यालय, आवासीय विद्यालय की व्यवस्था करना तथा उसके पुनर्वास के लिए कृत्रिम अंगों व निशुल्क उपकरण उपलब्ध करना।
19. अशिक्षित महिलाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना।
20. विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान के लिए निशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
21. दैविय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।
22. बालक-बालिकाओं, यूवक-युवतियों के विकास, उत्थान व स्वावलम्बी हेतु कम्प्यूटर, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कताई एवं सभी पेन्टिंग, टाईपिंग, आशुलिपि आदि की शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
23. ग्रामीण पुर्ननिर्माण हेतु सेनिटेशन, जलापूर्ति, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्राम्य उत्थान सम्बन्धित अन्य सभी कार्यों को करने की व्यवस्था करना।
24. किसानों के कृषि हेतु उपयोगी वस्तुएं एवं आधुनिक कृषि यन्त्रों की निःशुल्क जानकारी करना।
25. खाद्य प्रसंस्करण एवं गृह प्रबन्ध हेतु बालिकाओं एवं महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित करना।
26. जनसमुदाय को भयंकर बीमारियों जैसे- कैंसर, हेपेटाइटिस बी., एड्स, तपेछित, मोतियाबिन्द, पल्स पोलियों टीकाकरण एवं कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्रदान करना।



सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि क्रमांक 3/14
दिनांक 15-7-2020

27. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना।
28. बाल श्रमिक एवं बंधुआ मजदुर जैसी समस्याओं के निवारण हेतु सेमिनार अनुसंधान अथवा शोध एवं मीडिया के माध्यम से जन-मानस को जागरूक करना।
29. जन समुदाय के स्वास्थ्य सुधार हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना, शिविर लगाना, परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाना तथा स्वास्थ्य संबंधि शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना।
30. खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा उसके लिए क्रीडास्थल की व्यवस्था करना।
31. समाज से तिरस्कृत महिलाओं, परित्यक्ता, बलात्कार, पीड़ित बेराजगार, महिलाओं एवं विधवाओं के विकासोत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएँ तैयार कर उसे क्रियान्वित करना तथा उनके लिए परामर्श केन्द्र की स्थापना, डे-केयर, शार्ट स्टे होम की व्यवस्था करना।
32. तकनीकी तथा प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था करना तथा उसे संचालित करना।
33. मानवाधिकार से संबंधित कार्य करना।
34. उपभोक्ता के लिए सही मार्ग दर्शन देना, एवं उनके लिए शिविर लगाकर जागरूक करना एवं प्रशिक्षण देना।
35. संस्था के लिए दान एवं अनुदान व केन्द्रिय एवं राज्य सरकार की सरकारी / अर्धसरकारी वित्तिय संस्थानों, एन.एस.डी.सी., यू.जी.सी., एवं अन्य सभी बैंकों से ऋण प्राप्त करना जो कि संस्था के हित के लिए होगा।
36. संस्था को ऋण देने वाली बैंकों तथा एन.एस.डी.सी. जैसी संस्था को अधिकार होगा की अगर संस्था लोन चुक्ता नहीं करा पाये तो वह अपने किसी भी अधिकारी को संस्था में डायरेक्टर पद पर नियुक्ति कर सकते है।



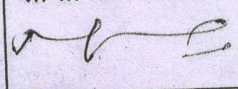
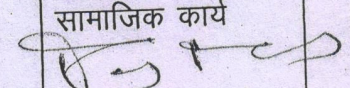
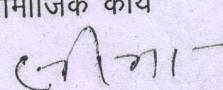
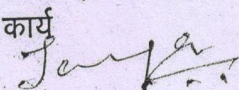
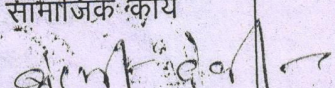
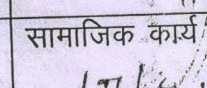
सत्य प्रतिलिपि

कुले सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता.....
जिज्ञान कर्ता.....

15-7-2020

5. प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पिता/पति का नाम, पता, पद व व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

सं.	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री नीरज राजहंस पुत्र श्री दिनेश मोहन राजहंस	प्लॉट नं. 1 गणेश नगर कालोनी, गणेशपुर, तरना शिवपुर, वाराणसी।	महासचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)	सर्विस एवं सामाजिक कार्य 
2.	डॉ० पंकज राजहंस पुत्र श्री दिनेश मोहन राजहंस	प्लॉट नं. 1 गणेश नगर कालोनी, गणेशपुर, तरना शिवपुर, वाराणसी।	अध्यक्ष एवं अधिकासी निदेशक	सर्विस एवं सामाजिक कार्य 
3.	श्रीमती सीमा राजहंस पुत्री श्री नागेन्द्र झाँ	प्लॉट नं. 1 गणेश नगर कालोनी, गणेशपुर, तरना शिवपुर, वाराणसी।	सदस्य	सामाजिक कार्य 
4.	तान्या राजहंस पुत्री श्री नीरज राजहंस	प्लॉट नं. 1 गणेश नगर कालोनी, गणेशपुर, तरना शिवपुर, वाराणसी।	सदस्य	छात्रा एवं सामाजिक कार्य 
5.	श्रीमती बेली देवी पुत्री स्व० देव नारायण झाँ	ग्राम - हटिया पोस्ट गाक्षी, जिला-सहरसा, बिहार	सदस्य	सामाजिक कार्य 
6.	श्री नागेन्द्र झाँ पुत्र स्व० कालीकान्त झाँ	ग्राम - हटिया पोस्ट गाक्षी, जिला-सहरसा, बिहार	सदस्य	सामाजिक कार्य 
7.	श्री शारदा शंकर पाण्डेय पुत्र स्व० रामधनी पाण्डेय	रामनगर, थाना - बड़ागाव पिण्डरा, वाराणसी।	सदस्य	सामाजिक कार्य शारदा शंकर पाण्डेय

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

15-2-2020

प्रतिलिपि कर्ता 3/4
चेकन कर्ता

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता समिति को उपरोक्त स्मृति-पत्र के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

सं.	नाम/पिता का नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री नीरज राजहंस पुत्र श्री दिनेश मोहन राजहंस	प्लॉट नं. 1 गणेश नगर कालोनी, गणेशपुर, तरना शिवपुर, वाराणसी।	
2.	डॉ० पंकज राजहंस पुत्र श्री दिनेश मोहन राजहंस	प्लॉट नं. 1 गणेश नगर कालोनी, गणेशपुर, तरना शिवपुर, वाराणसी।	
3.	श्रीमती सीमा राजहंस पुत्री श्री नागेन्द्र झाँ	प्लॉट नं. 1 गणेश नगर कालोनी, गणेशपुर, तरना शिवपुर, वाराणसी।	
4.	तान्या राजहंस पुत्री श्री नीरज राजहंस	प्लॉट नं. 1 गणेश नगर कालोनी, गणेशपुर, तरना शिवपुर, वाराणसी।	
5.	श्रीमती बेली देवी पुत्री स्व० देव नारायण झाँ	ग्राम - हटिया पोस्ट गाक्षी, जिला-सहरसा, बिहार	
6.	श्री नागेन्द्र झाँ पुत्र स्व० कालीकान्त झाँ	ग्राम - हटिया पोस्ट गाक्षी, जिला-सहरसा, बिहार	
7.	श्री शारदा शंकर पाण्डेय पुत्र स्व० रामधनी पाण्डेय	रामनगर, थाना - बड़ागांव पिण्डरा, वाराणसी।	



सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबंधक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

15-7-2020

प्रतिलिपि कक्षा
निजान कक्षा

नियमावली

1. संस्था का नाम : माइक्रोटेक एजुकेशनल सोसाइटी।
2. संस्था का पता : प्रथम तल, सी027/279 ए-2, निर्मल काम्पलेक्स
मलदहिया, वाराणसी।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत।
4. संस्था का कार्यक्षेत्र : संस्था के सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग-

वह भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु कर चुका हो संस्था के प्रति उद्देश्यों के प्रति निष्ठा रखता हो संस्था के उद्देश्यों के प्रति आश्वासन हो सदस्यता ग्रहण कर सकता है जिनकी सदस्यता निम्नवत होगी।

आजीवन सदस्य नबन्धक : वे व्यक्ति संस्था को 5000/- नगद धनराशी या उससे अधिक मूल्य की चल-अचल सम्पत्ति एक बार देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।

सामान्य सदस्य नबन्धक : वे व्यक्ति संस्था को 500/- रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप से जमा करेगा। वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेगे।

विशिष्ट सदस्य : वह समाज का सम्मानित व्यक्ति हो। संस्था को सुचारु संचालित करने हेतु विशेष योगदान देवेंगे। संस्था के कार्यकारिणी समिति द्वारा विशिष्ट सदस्य मनोनित कर लिये जायेंगे।

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कदा 3/11/2020
मिलान कदा 3/11/2020

नोट:

1. प्रबन्ध समिति इस नियम को शिविल भी कर सकती है तथा सदस्य बनने की इच्छुक व्यक्ति की भावनाओं को परीक्षण कर उन्हें सदस्य बनने की स्वीकृति दे सकती है।
2. सदस्यता के लिए लिखित आवेदन पत्र देने तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा उसके स्वीकृत होने पर।

5. सदस्यता की समाप्ति :

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी:-

1. अवधि समाप्ति के एक माह के अन्दर सदस्यता शुल्क अदा न करने पर।
2. पागल या दिवालिया घोषित होने पर तथा किसी प्रकार नैतिक या व्यक्तिगत अपराध न्यायालय द्वारा दण्डित हो जाने पर।



3. बिना सूचना लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने, संस्था के हित के विरुद्ध कार्य करने पर।

4. त्याग पत्र देने और कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति किये जाने पर।

5. मृत्यु हो जाने पर।

6. संस्था के अंग :

संस्था के दो अंग होंगे।

(अ) - साधारण सभा (आम सभा)

(ब) - कार्यकारिणी समिति (प्रबन्धकारिणी समिति)

7. साधारण सभा :

अ-गठन-

संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नं. 4 के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा जिससे आजीवन सदस्य, सामान्य सदस्य एवं विशिष्ट सदस्य होंगे।

सत्य प्रतिनिधि

कृते सहायक निबन्धक

फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स

वाराणसी मण्डल वाराणसी

15-7-2020

प्रतिलिपि कक्षा 3

ब- बैठके-

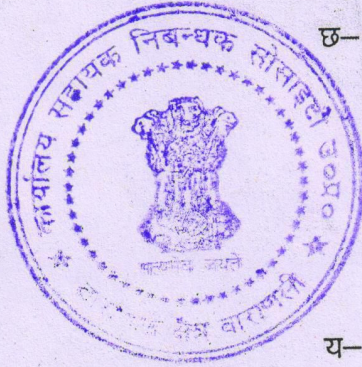
साधारण सभा के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम एक बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में महासचिव द्वारा बुलाई जा सकती है।

स- सूचना अवधि-

साधारण सभा के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जायेगी।

1. संस्था के सभी सदस्यों के पास नोटिस प्रतियाँ घुमवाकर तथा सूचना की प्राप्ति के प्रमाण पत्र स्वरूप सदस्यों का हस्ताक्षर प्राप्त करना।
2. डाक द्वारा प्रमाण पत्र के अन्तर्गत नोटिस भेजकर

छ- गणपूर्ति-



कैलेण्डर वर्ष की 31 जनवरी को संस्था के रोल पर दर्ज कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति मानी जायेगी। कोरम के आभाव में स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

घ- वार्षिक अधिवेशन-

संस्था को वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष 2 अक्टूबर के दिन संस्था के कापलिंग पर मनाई जायेगी।

च- साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. वार्षिक बैठक में विगत 3 वर्ष का लेख प्रस्तुत करना एवं उसका अनुमोदन करना।

सत्य प्रतिलिपि

कृते सचिव निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

15-7-2020

प्रतिलिपि कर्ता 3/8
चिह्न कर्ता

2. आगामी वर्ष का कार्यक्रम एवं बजट का निर्धारण करना।
3. कार्यकारिणी समिति और उसके पदाधिकारियों का चयन करना।
4. संस्था के हित में अन्य कार्यक्रमों का निर्धारण करना
5. संस्था के समय-समय पर होने वाली तथा आवश्यक अनुदान सीमा बढ़ाने और उसके अनुसार हाइपोकेशन तथा इक्विटेबुल मार्गेज की कार्यवाही में वृद्धि/परिवर्तन करना जो कि संस्था के हित में हो संस्था के हित के लिए चल व अचल सम्पत्ति खरीदने व बेचने का अधिकार सिर्फ महासचिव को होगा।
6. खादी ग्रामीण उद्योग आयोग अथवा राज्य बोर्ड की निधी सुरक्षा हेतु उक्त कार्यवाही निस्पादित कर आयोग से ऋण प्राप्त करना।



यदि अक्षरों को ऐसे लेंगे की महासचिव विषय के अन्तर्गत अपेक्षित आम सभा की बैठक बुलाने में किसी वैध कारण से असफल रहता है तो वह स्वयं बैठक बुला सकता है।

2. कुल सदस्य संख्या में से 3 - 5 वै भाग के सदस्यों द्वारा लिखित आवेदन पर महासचिव / अध्यक्ष आम सभा की बैठक बुलाने में असमर्थ होने पर उपस्थित स्वयं ऐसे सदस्य को बैठक का संयोजक बनाकर अपेक्षित बैठक बुला सकते है।

8. कार्यकारिणी समिति अ- गठन:-

साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कार्यकारिणी समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष के आलावा 4 सदस्य होंगे कुल मिलाकर 7 सदस्य होंगे।

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

13-7-2020

प्रतिलिपि कक्षा 34
मिलान कक्षा 34

ब- बैठके-

कार्यकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार तथा विशेष आवश्यकतानुसार किसी भी समय की अनुमति से बुलाई जा सकती है।

स- सूचना-अवधि

कार्यकारिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना से 21 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

द- गणपूर्ति -

कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों के कम से कम 2/3 उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति के आभाव में स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।



रिक्त स्थानों की पूर्ति-

कार्यकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारी अथवा सदस्य का स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के बहुमत से शेष अवधि के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से किसी योग्य व्यक्ति का चुनाव कर लिया जायेगा।

र- कार्यकारिणी समिति के आधार एवं कर्तव्य-

1. कार्यकारिणी समिति की प्रस्तावित समस्त प्रवृत्तियों का निर्धारण, क्रियान्वयन एवं निर्देशन करना।
2. संस्था अपने प्रवृत्तियों में कच्चे माल के रूप में य विपणन में खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रसारित नियमों का पालन अवश्य करेंगी।
3. कार्य संचालन की सुगमता के लिए उपसमितियों का गठन करना।

सत्य प्रतिलिपि

कुले सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं विट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

15-7-2020

प्रतिलिपि कक्षा 3A
प्रेषण कक्षा

4. आय व्यय का रख-रखाव व वार्षिक हिसाब किताब तैयार करना।
5. संस्था के कार्यहित में हर प्रकार के वैधानिक कार्यवाहि करना।
6. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनवृद्धि अनुशासन कार्यवाही एवं वितुविन के बारे में निर्णय करना।
7. साधारण सभा के लिए किये गये निर्णयों का सिहावलोकन कर उचित कार्यवाही करना।



ले- कार्यकाल-

कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल समान्य रूप से 5 वर्ष का होगा।

9. कार्यकारिणी समिति के प्रदाधिकारियों और उनके अधिकार एवं कर्तव्य

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:-

1. साधारण सभा का प्रबन्धकारिणी की समिति की अध्यक्षता करना अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थिति सदस्यों में से किसी को भी बैठक की अध्यक्षता के लिए चुना जा सकता है।
2. संस्था की समस्त प्रवृत्तियों पर दृष्टि करना तथा उसका निर्देशन करना।

महासचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:-

1. साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक को नियमानुसार आहूत तथा बैठक की कार्यवाही लिखना।
2. संस्था के प्रतिदिन के कार्य की देख-रेख करना।
3. आम सभा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, निलंबन तथा मुक्ति आदि करना उसकी स्वीकृति कार्यकारिणी की आगामी बैठक में प्राप्त करना आवश्यक होगा।

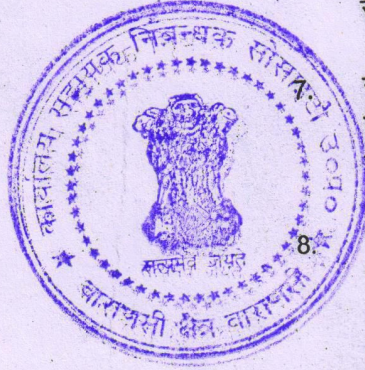
सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कक्षा
निलंबन कक्षा

15-7-2020

4. संस्था के कार्य से सम्बन्धित समस्त कागजात रखवाना, समय-समय पर विभिन्न विभागों द्वारा मांगें गये प्रगति अहवाल भेजवाना, बैलेंसशीट तैयार करवाना, खादी ग्रामोद्योग को देनदान रहने तक प्रतिवर्ष अपने कार्य का प्रगति आलेख तथा आडिट बैलेंसशीट आयोग को देना।
5. संस्था के समस्त वैधानिक कागजात एवं दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना। महासचिव की अनुपस्थिति में प्रबंधकारिणी समिति किसी भी व्यक्ति को यह फार्म सौंप सकती हैं।
6. प्रबंधकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर प्रदत्त समस्त उत्तरदायित्वों का वहन करना।



8. संस्था द्वारा या संस्था के विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी अदालती कार्यवाही महासचिव के माध्यम से की जायेगी।

8. संस्था के लिए सरकारी एवं अर्धसरकारी खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड के व्यक्तिगत प्रतिष्ठान एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से दान, अनुदान, चंदा आदि प्राप्त करना।

9. संस्था के महासचिव को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह संस्था द्वारा संचालित संस्थानों से अपने मासिक वेतन का निर्धारण प्रबंध समिति की बैठक बुलाकर पास करा सकेंगे।

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:-

कोषाध्यक्ष का कार्य खाता बही का लिखना व उसका परीक्षण / सी0ए0 करायेगा।

10. संस्था के विधान में : संशोधन

इस संस्था के विधान में संशोधन एवं परिवर्तन साधारण सभा द्वारा इसी उद्देश्य से बुलायी गयी बैठक में 2/3 बहुमत से हो सकेगा। इसकी सूचना एवं पुष्टि के लिए संबंध में निर्णय की सच्ची प्रतिलिपि रजिस्टार फर्मर्स सोसाइटीज एवं चिट्स को एक सप्ताह के अन्दर भेजनी होगी।

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
कोराणसी मण्डल वाराणसी

15-7-2020

प्रतिलिपि कक्षा
मिलान कक्षा

11. संस्था का कोष : संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जायेगा, धनराशि जमा करने व निकालने का अधिकार केवल महासचिव या विशिष्ट सदस्य को होगा।
12. संस्था के आय व्यय : संस्था के वित्तीय 1 अप्रैल से 31 मार्च वार्षिक आय का लेखा परिक्षण केवल महासचिव को होगा।
13. संस्था द्वारा अथवा : संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध लगाये गये के उसके अदायगी संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व महासचिव पर होगा। कार्यवाही का उत्तरदायित्व

14. संस्था का अभिलेख : संस्था के निम्नलिखित अभिलेख होंगे—



1. कार्यवाही रजिस्टर
2. सदस्यता रजिस्टर
3. स्टॉक रजिस्टर
4. कैश बुक आदि।

15. संस्था का विघटन 1. यदि किसी कारण संस्था की गतिविधियाँ रूक गयी हो अथवा समाप्त की जानी हो तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अधीन विघटन की कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रबंध समिति एक सकल्प आम सभा की सिफारिश करेगी जो बदलने में 30 दिन की लिखित नोटिस देने के पश्चात संस्था विघटित करने हेतु निर्णय विशेष रूप से आयोजित बैठक में तीन चौथाई सदस्यों की सहमति लें।

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कदा...
क्रमांक...

15-7-2020

2. संस्था के विघटन पर इसकी कर्ज तथा देवताओं की संतुष्टि के पश्चात यदि कोई परिसम्पत्ति अथवा परिसम्पत्तियाँ चल अथवा अचल सम्पत्तियाँ जो कुछ बाकी बंद जाती है संस्था तथा दानकर्ता/कताओं के बीच सहमत किसी न्यायालयों से प्रभावित न हो उसे संस्था के सदस्यों अथवा उनमें से किसी को भी भुगतान अथवा वितरित नहीं किया जायेगा। अपितु इसे केन्द्रीय प्रमाण पत्र समिति के अनुमोदन से समान उद्देश्य वाली किसी दूसरी संस्था को विशेष रूप से आयोजित आम सभा की बैठक में उपस्थिति कम से कम तीन चौथाई सदस्यों के मतों अथवा इसके अभाव में जिले के मूल क्षेत्र के प्रधान न्यायालय द्वारा जिसमें संस्था का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, अवधारित किया जायेगा।



सत्य प्रतिलिपि

दिनांक :

हस्ताक्षर

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.
- शांति शांति पाउंड्य

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं विट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

15-7-2020

प्रतिलिपि कर्ता
निर्माण कर्ता